

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

श्री एनामुल हक,

तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद।  
सम्प्रति सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित/चपरासी बही

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप रतनी फरीदपुर प्रखंड (जिला-जहानाबाद) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
620	₹ 849400/-


उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 620 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं आपका उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

र.वि

विश्वासभाजन,

  
(प्रदीप कुमार) 2/3/02

सचिव

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद।

पत्रांक 446A/HV/जि.ग्रा.वि.अभि.१०

CN-213354/६

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,  
जहानाबाद।

सेवा में

सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना।

जहानाबाद, दिनांक 21 वीं नवम्बर, 2014


विषय :- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत तत्कालीन उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा उठाव किये गये अनाज की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि SGRY/NFFW योजना अन्तर्गत तत्कालीन उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों का नाम पदस्थापित वर्ष एवं अनाज की अद्यतन सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। सुलभ संकेत हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन संलग्न किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन

  
उप विकास आयुक्त,  
जहानाबाद।

